निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :240/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ओम प्रकाश पुत्र रामलाल जाति माली निवासी ग्राम जयचन्द का बास, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश चन्द माहेश्वरी आर॰एस॰एस॰ सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र नन्दा
3. रामलाल पुत्र छीतर
4. शैतान पुत्र छीतर
5. सुमन पुत्री रामलाल
6. रामपाल पुत्र लाला
7. रामफूल पुत्र लाला

समस्त जाति माली, ग्राम जयचन्द का बास, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 156/2022 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 ब उनवानी ओम प्रकाश बनाम छीतर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हनुमान सहाय सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री एस॰जे॰ गिरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 156/2022 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 102/2022 ब उनवानी ओम प्रकाश बनाम छीतर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री एस॰जे॰ गिरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद सहायक कलक्टर फागी के यहां विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.11.2022 सुनवाई हेतु नियत थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या 3, 6, व 7 उक्त आराजी को बेचान करने पर उतारू है। इसलिए उन्होंनें अप्रार्थी संख्या 1 से मिल कर उक्त प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थाई निषेधाज्ञा को आगामी तारीख पेशी पर खारिज करवाकर अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाने की एलानियां धमकी दी एवं कहा कि साहब से हमारी बात हो गई है, तू जाने सो कर ले । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को खुलेआम फैसला उसके पक्ष में करवाने की धमकी देने एवं अप्रार्थी संख्या 1 से स्वयं के चेम्बर में जाकर मिलकर आने से एवं धमकी देने से की हमने पीठासीन अधिकारी की बात विधायक जी से करवा दी है । अब प्रार्थी के मुकदमें को आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से खारिज करवाने की धमकी खुले आम देने एवं छोटी छोटी तारीख पेशी दिये जाने से प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसने उक्त वाद प्रस्तुत किया है । चूंकि उक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 7 को स्वयं अपने चैम्बर में बुला कर बातचीत करने एवं स्वयं अप्रार्थी को उनके पक्ष में प्रकरण का निस्तारण करने का आश्वासन देने से अप्रार्थीगण के होसले बुलन्द हो गये। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को एलानिया धमकी देने से प्रार्थी भयभीत है एवं प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय मिलने की उम्मीद नही है । अप्रार्थीगण धनबल एवं भुजबल के आधार पर प्रार्थी को बेदखल कर देंगें। चूंकि अप्रार्थी पैसे व राजनितिक पहुंच वाले है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी से मिल चुके है और उन्होंने मुकदमें को खारिज करवा कर तुरन्त दीगर व्यक्तियों को हित में रजिस्ट्री करवाने की धमकी दी है। चूंकि उक्त पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली की हर तरफ चर्चा सुनकर प्रार्थी काफी भयभीत है और पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है । ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले में विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। है इसके बावजूद प्रार्थी ने काल्पनिक व मनघढन्त आरोप लगा कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर फागी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है उनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर फागी से प्राप्त टिप्पणी का

जिला कलक्टर
जयपुर

अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर